

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.18(4)वित्त/अंकेक्षण/2018

जयपुर, दिनांक 1-7 MAY 2018

अधिसूचना

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के लेखों के अंकेक्षण हेतु एतद् द्वारा अधिकृत करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है।


आज्ञा से,

Sd-

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना की चार प्रतियों एवं सी डी सहित दी जाकर लेख है कि वे इसका प्रकाशन शीघ्र राजस्थान के असाधारण राजपत्र में कराने का कष्ट करें।


संयुक्त शासन सचिव